

राम करण यादव  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
	<p>10/02/25</p> <p>प्राथमिक एवं उपलब्ध अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। कार्य कार शक-2 कर 0 प्रावाज दि लखी उर्ध्व प्राथमिक की ओर से कोई उपस्थित नहीं प्राथमिक प्राथमिक / वादी का वादी विषय हाजरी में खारिज हो चुका है इस प्रकार का विचार हीम खलम का कोई प्रतिक्रिया नहीं है। प्रमाण: प्राथमिक विना किम कार्यवाही के प्रत्येक हाजरी विषय प्रत्येक में खारिज किया जाता है। तदनुसार निर्णीत होना प्राथमिक का 4 तम मील अथवा किम काही जाव है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (दौरखल-तेजारा) राजग</p>	